राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0

सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल) गोमती नगर, लखनऊ।

विज्ञापन संख्याः 15/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./अधि.03/14 दिनांक :: 30 मई, 2014

प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश के अधोअंकित जिला उपभोक्ता फोरमों में उनके सम्मुख अंकित अध्यक्ष/सदस्य के पदों पर नियुक्ति की जानी हैः–

क्र.सं.	जिला फोरम का नाम	अध्यक्ष	सामान्य सदस्य	महिला सदस्य
1.	आगरा प्रथम	01	–	01
2.	अलीगढ़	–	01	–
3.	मथुरा	01	01	–
4.	मऊ	01	01	–
5.	बरेली द्वितीय	–	01	–
6.	बदायूँ	01	–	–
7.	बस्ती	–	01	–
8.	बॉदा	–	–	01
9.	फैजाबाद	01	–	–
10.	सुल्तानपुर	01	–	–
11.	जालौन	01	–	–
12.	कानपुर नगर	01	–	–
13.	फर्रूखाबाद	01	–	–
14.	लखनऊ प्रथम	–	01	–
15.	लखीमपुर	01	–	–
16.	मिर्जापुर	–	–	01
17.	गौतमबुद्धनगर	–	–	01
18.	मेरठ	–	01	–
19.	बुलन्दशहर	–	01	–
20.	मुरादाबाद प्रथम	01	–	–
21.	मुरादाबाद द्वितीय	–	01	–
22.	जौनपुर	–	01	–
23.	कन्नौज	–	01	01
24.	संतकबीरनगर	–	–	01
	कुल	**11**	**11**	**06**

उक्त पदों पर नियुक्ति के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–10 के अनुसार जिला फोरम का प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

जिला फोरम का कोई सदस्य पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा परन्तु यह इस शर्त के अधीन है, कि वह निम्नलिखित बिन्दु संख्या– (ब) तथा (ब.1) में उल्लिखित

नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तो की पूर्ति करता है। ऐसी पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जायेगी।

इसके अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले **अभ्यर्थियों से दिनांक 25.06.14 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–**

(अ) अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अर्हता –

एक ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या होने योग्य है।

(ब) सामान्य एवं महिला सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता –

(1) विज्ञापन की तिथि को आयु 35 वर्ष से कम न हो,

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों,

(3) योग्यता, सत्यनिष्ठ, और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, और जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोककार्यकलाप अथवा प्रशासन संबंधी समस्याओं से संव्यवहार करने का पर्याप्त ज्ञान हो एवं कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो,

(ब.1) परन्तु यह कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अनर्हित होगा यदि वह –

(क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या

(ख) उन्मुक्त दिवालिया है, या

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय में सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, या

(ड.) राज्य सरकार की राय में ऐसा वित्तीय हित रखता है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(च) ऐसी कोई अन्य निरर्हता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जनपद के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में भी नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा नियुक्त अध्यक्ष/सदस्यों का स्थानान्तरण किसी भी जनपद में किया जा सकता है।

पात्र अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी–1, विक्रान्त खण्ड–1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ को सीधे प्रेषित किया जायेगा।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने, अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन पत्र प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें। पदों की संख्या तथा स्थान में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की बेवसाइट http://scdrc.up.nic.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

(मो. रईस सिद्दीकी)
निबंधक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल)
गोमती नगर, लखनऊ।

जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रेस विज्ञप्ति संख्याः 15/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./अधि.03/14 दिनांकः– 30 मई, 2014

अभ्यर्थी अपनी अद्यतन स्वप्रमाणित फोटो चिपकायें।

1. आवेदित पद का नाम..
2. आवेदित जिला उपभोक्ता फोरम का नाम..........................
3. अभ्यर्थी का नाम –
   (क) हिन्दी में..
   (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में..
4. पिता/पति का नाम...
5. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित)..
   (ख) विज्ञापन की तिथि को आयु–................वर्ष..............माह...............दिन
   (ग) अभ्यर्थी यदि पूर्व में जिला फोरम का सदस्य रह चुका है तो कितनी बार और कहाँ तथा अवधि ....
   ....
6. (क) शैक्षिक योग्यता (आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा) ....
   ....
   (ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो तो उसका अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करना आवश्यक होगा)..
7. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा..................
   ....
   (अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्यकलाप या प्रशासन)
   (ख) कितने वर्ष का अनुभव रखते हैं। (समुचित प्रमाण पत्र/साक्ष्य सहित)...........
   ....
8. (क) स्थायी पता..
   ....
   (ख) पत्र व्यवहार का पता...
   ....
9. (क) वर्तमान व्यवसाय..
   (ख) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (प्रमाण पत्र सहित) ....
10. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति)...........
    ....
    (आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)
11. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण
    (क) पिता...
    (ख) पति/पत्नी...
12. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें।..

13. यदि किसी अभ्यर्थी जो पूर्व में अपर जिला जज/जिला जज रहा है अथवा कार्यरत है वह जिला फोरम में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरूद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसका परिणाम का विवरण अंकित करें ....

....

....

....

यदि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें..

....

....

....

यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 05 वर्षो में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें..............

....

....

....

यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण................

....

14. अन्य विवरण, यदि कोई हो..

15. अभ्यर्थी द्वारा आवेदित जनपद के अतिरिक्त किसी अन्य जनपद में भी नियुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा नियुक्त अध्यक्ष/सदस्यों का स्थानान्तरण किसी भी जनपद में किया जा सकता है।

तिथि .... अभ्यर्थी का हस्ताक्षर......................................

स्थान .... अभ्यर्थी का नाम..

घोषणा पत्र

मैं...घोषणा करता/करती हूँ कि – (1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य हैं और वे शर्ते मैं पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैनें इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....

अभ्यर्थी का नाम...